[2018] 1 एस. सी. आर 873

विंग कमांडर अश्विनी कुमार हांडा (सेवानिवृत)

बनाम

भारत संघ और अन्य ।

(सिविल अपील संख्या 1491/2018)

फरवरी 1,2018

[न्यायमूर्तिगण ए. के. सिकरी और अशोक भूषण]

सेवा कानूनः

वेतन और भत्तों की धनवापसी-औचित्य -सैन्य निर्देश के संदर्भ में अपीलार्थी को दिया गया अध्ययन अवकाश- सेवा गारंटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार, वह अध्ययन अवकाश से लौटने की तारीख से नौ साल तक सेवा करने के लिए उत्तरदायी था-अपीलार्थी , अध्ययन अवकाश से लौटने पर, 6 साल और 8 महीने की सेवा के बाद समय से पहले सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई थी-अध्ययन अवकाश के दौरान दिए गए वेतन और भत्तों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया से इस आधार पर काट लिया गया था कि उन्होंने नौ साल तक सेवा नहीं करके अनुबंध का उल्लंघन किया था-वसूली के आदेश को चुनौती दी गई-सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के मामले को खारिज कर दिया-सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने पर, अपीलार्थी ने याचिका दायर की कि चूंकि उन्होंने 6 साल 8 महीने की सेवा की थी, इसलिए मामले के तथ्यों में आनुपातिक कटौती की जानी चाहिए थी जैसा कि एक अन्य अधिकारी के मामले में की गई थी और इस प्रकार आनुपातिक कटौती नहीं किया जाना भेदभावपूर्ण है अभिनिर्धारित किया गया -भेदभाव की याचिका भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह पहली बार ली गई थी।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया -

1. वर्तमान मामले के तथ्यों में, आनुपातिक कटौती का सवाल ही नहीं उठता है। नियोक्ता ने उसे उस अवधि के लिए भी वेतन और भत्तों का भुगतान किया था जब वह काम नहीं कर रहा था और अध्ययन अवकाश पर था।यह भुगतान इस शर्त के अधीन किया गया था कि उसकी वापसी के बाद अपीलार्थी पूरे नौ वर्षों तक सेवा करेगा।चूंकि उसने उस अवधि के लिए सेवा नहीं की है, इसलिए नियोक्ता सेवा गारंटी प्रमाण पत्र के साथ सेना के निर्देशों के संदर्भ में अध्ययन अवकाश की अवधि के दौरान दिए गए वेतन और भत्तों को वापस प्राप्त करने का हकदार है।अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त निर्देश की वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया है। **[**पैरा **9** और **10]**

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एससीसी 705:[2003] 3 एस. सी. आर. 691; सुबीर घोष बनाम इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी **1976** एससीसी ऑनलाइन कैल **222**-प्रभेदित ।

पंजाब राज्य और अन्य बनाम डॉ. राजीव सरवाल **(1999) 9** एस. सी. सी. **240**-संदर्भित।

2. जहाँ तक भेदभाव की दलील का संबंध है, इस तर्क के समर्थन में कोई मूलभूत तथ्य नहीं हैं। न्यायाधिकरण के समक्ष पहले या तत्काल अपील में ऐसी कोई याचिका नहीं ली गई थी। अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ, केवल **6** फरवरी, **2014** का संचार संलग्न है जो अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम, **2005** के तहत किसी अन्य अधिकारी के संबंध में प्राप्त हुआ है।यह ज्ञात नहीं है कि उनके मामले में किन परिस्थितियों में आनुपातिक लागत की वसूली की गई थी।इसके अलावा, अभिवचनों के अभाव में, प्रत्यर्थियों को इसे समझाने का कोई अवसर नहीं मिला। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों में ऐसी याचिका की अनुमति नहीं दी जा सकती है। **[**पैरा **11]**

संदर्भित निर्णय

(1999) 9 एससीसी **240**	संदर्भित किया गया है	पैरा **7**
[2003] 3 एससीआर **691**	प्रभेदित	पैरा **8**
1976 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल **222**	प्रभेदित	पैरा **8**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2018 की सिविल अपील संख्या 1491।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ की 2013 की ओ. ए. संख्या 188 /2013 में दिनांकित 26.07.2017 के निर्णय और आदेश/2017 की एम. ए. संख्या 1493 में और 2013 की ओ. ए. संख्या 188 में 2017 की एम. ए. संख्या 1494 से दिनांकित 09.09.2017 के आदेश से ।

सुधांशु एस. पांडे, गाइचांगपोउ गंगमेई, अभिषेक आर. शुक्ला, अर्जुन सिंह, अधिवक्तागण अपीलार्थी की ओर से ।

विक्रमजीत बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, संतोष कुमार, सयोज मोहनदास एम., एम. के. मारोरिया, प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्तागण ।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी द्वारा दिया गया था|

1.देरी को माफ कर दिया गया।अपील करने की अनुमति दी गई।

2. इसमें अपीलार्थी ने विंग कमांडर के पद पर भारतीय वायु सेना के साथ काम करते हुए आवेदन किया है और उसे दो साल की अवधि यानी 27 दिसंबर, 2003 से 26 दिसंबर, 2005 तक अध्ययन अवकाश दिया गया है।उस समय, उन्होंने एक सेवा गारंटी प्रमाण पत्र के रूप में एक वचन पत्र प्रस्तुत किया था कि वे अध्ययन अवकाश से लौटने की तारीख से नौ साल तक सेवा करेंगे।इस वचन पर, अपीलार्थी को अध्ययन अवकाश की अवधि के लिए वेतन और भत्ता भी दिया गया था।अपनी वापसी के बाद, उन्होंने सेवा करना शुरू कर दिया, लेकिन नौ साल की अवधि पूरी होने से पहले, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया। समयपूर्व सेवानिवृत्ति के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया। साथ ही, अध्ययन अवकाश की अवधि के दौरान अपीलार्थी द्वारा लिए गए वेतन और भत्तों को उसके सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया से इस आधार पर काट लिया गया था कि उसने नौ साल तक सेवा नहीं देकर अनुबंध का उल्लंघन किया था।

3. अपीलार्थी ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (ए. एफ. टी.) के समक्ष मूल आवेदन (ओ. ए.) दाखिल करके वेतन और भत्तों की वसूली के आदेश को

चुनौती दी, जिसे ए. एफ. टी. ने 26 जुलाई, 2017 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया है। ए. एफ. टी. के समक्ष अपीलार्थी की याचिका थी कि एक बार जब उसे चिकित्सा आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे दी गई, तो 15 नवंबर, 2001 को प्रस्तुत सेवा गारंटी प्रमाण पत्र में निहित उसके वचन को लागू नहीं किया जा सकता था।हालाँकि, ए. एफ. टी. ने अपीलार्थी द्वारा दायर किए गए ओ. ए. को यह कारण बताते हुए खारिज कर दिया है कि अपीलार्थी द्वारा चिकित्सा आधार को एक अतिरिक्त आधार के रूप में लिया गया था और यह समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए एकमात्र या मुख्य आधार नहीं था। ए. एफ. टी. के अनुसार, रिहाई का मुख्य आधार पूरी तरह से अलग था और मात्र बीमारी के आधार पर उनकी समय से पहले रिहाई का आदेश नहीं दिया गया था।ए. एफ. टी. के क्रम के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"13. इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों से, यह बहुत स्पष्ट है कि अध्ययन अवकाश नियम अनिवार्य करते हैं कि अध्ययन अवकाश अवधि पूरी करने के बाद, आवेदक को सेवा की एक विशिष्ट अवधि के लिए सेवा करनी होगी।आवेदक शुरू से ही इस तथ्य से अवगत था और सेवा गारंटी के अनुसार, उसने इस आशय का वचन दिया था।स्वीकृत रूप से, उपरोक्त राशि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की बकाया राशि में से काट ली गई थी।तत्काल ओ. ए. में आवेदक द्वारा उठाया गया आधार यह है कि क्योंकि उसने अपने खराब स्वास्थ्य के आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली है, इसलिए उक्त आधार उसे कटौती की गई राशि की वापसी का हकदार बनाता है।इसके बाद समयपूर्व रिहाई के आवेदन पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि यह आधार उनके द्वारा अपने आवेदन में लिए गए आधारों को देखते हुए मान्य नहीं है।उपरोक्त समयपूर्व रिहाई आवेदन को स्पष्ट रूप से पढ़ने से पता चलता है कि उनकी रिहाई का मुख्य आधार पदोन्नति में देरी और पुणे में उनकी पोस्टिंग से इनकार के कारण उनका असंतोष था, जिसे पहले पांच आधारों के रूप में उल्लेख किया गया था। छठे आधार को उनके खराब स्वास्थ्य के रूप में लिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बीमारी के कारण अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हूं। मैं उस सम्मानित संगठन को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है और इस आवेदन को समाप्त करने के लिए उन्होंने पैराग्राफ 6 में लिखा हैः

"6. मेरी वर्तमान इकाई में आने के लगभग दस महीने बाद मुझे कुछ असमर्थताएँ हुई हैं -प्राथमिक उच्च रक्तचाप और पी. आई. वी. डी. का पता चला, जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन-सी. आई. ऑप्स में है। हाल ही में मुझे टारगेट ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट -उच्च रक्तचाप रेटिनोपैथी- के कारण एक और दवा को जोड़ने की आवश्यकता हुई ।उपरोक्त वर्णित कई कारक मेरे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं। मैं अपनी बीमारी के कारण अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। मैं इस सम्मानित संगठन को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है।"

उनके अपने आवेदन के पैराग्राफ 7 की सामग्री से पता चलता है कि समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए मुख्य आधार अन्य आधार थे।

14. इससे यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि सेवा से उनकी समय से पहले सेवानिवृत्ति का मुख्य आधार सेवा में उनका अधिक्रमण और उनका पारिवारिक मुद्दा था। यह ऐसा मामला नहीं है जहां आवेदक ने मुख्य रूप से अपने खराब स्वास्थ्य के आधार पर अपनी समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए प्रार्थना की है।"

4. जब यह अपील ए. एफ. टी. के उपरोक्त फैसले को चुनौती देने वाली प्रारंभिक सुनवाई के लिए आई, तो न्यायालय ने पाया कि ए. एफ. टी. का उपरोक्त दृष्टिकोण दोषरहित और कानून के अनुरूप था।ए. एफ. टी. ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि सेवा गारंटी प्रमाणपत्र सेना के निर्देशों 13/78 के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार अपीलार्थी अध्ययन अवकाश से लौटने की तारीख से नौ साल तक खराब स्वास्थ्य आदि कुछ अपवादों के अतिरिक्त सेवा करने के लिए उत्तरदायी था,। तथापि, वर्तमान मामले में, एक तथ्य के रूप में, यह पाया गया है कि समयपूर्व सेवानिवृत्ति प्राप्त करने का मुख्य आधार अपीलार्थी की बीमारी नहीं थी। इसके लिए, ए. एफ. टी. के आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हालाँकि, उस स्तर पर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने एक पूरी तरह से अलग दलील दी, कि सेवा गारंटी प्रमाणपत्र लागू करने योग्य होने पर भी, उत्तरदाता अपने अध्ययन अवकाश की अवधि के दौरान अपीलार्थी द्वारा लिए गए पूर्ण वेतन और भत्तों में कटौती करने के हकदार नहीं थे, क्योंकि अपीलार्थी ने अध्ययन अवकाश से लौटने के बाद 6 साल, 8 महीने और 19 दिनों तक सेवा की थी और विधि के अनुरूप केवल आनुपातिक

कटौती की अनुमति थी।तदनुसार, इस अपील में नोटिस उपरोक्त प्रश्न तक सीमित जारी किया गया था, अर्थात्, क्या कटौती अपीलार्थी द्वारा निष्पादित बांड के तहत पहले से दी गई सेवा के अनुपात में होनी चाहिए।कानून के इस सवाल पर दोनों वकीलों ने अपनी दलीलें दी हैं।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने 27 दिसंबर, 2003 से 26 दिसंबर, 2005 तक दो साल के लिए अध्ययन अवकाश लिया है और उसके बाद वह शुरू में 2010 तक कमान अस्पताल (एससी) पुणे में और उसके बाद कमान अस्पताल (एनसी) उधमपुर, जम्मू और कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशनल एरिया में तैनात थे।अपीलार्थी ने 28 सितंबर, 2011 को 22 साल 9 महीने की कुल सेवा पूरी करने पर सेवा से समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया और उन्हें 15 सितंबर, 2012 को सेवा से मुक्त कर दिया गया।अपीलार्थी ने अपने अध्ययन अवकाश के बाद 6 साल 8 महीने और 19 दिनों तक सेवा की थी।इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि अध्ययन अवकाश के बाद कर्तव्यों में शामिल होने पर नौ साल तक सेवा करने की प्रतिबद्धता के विपरीत, अपीलार्थी ने 6 साल 8 महीने और 19 दिनों की पर्याप्त अवधि के लिए सेवा की थी और इसलिए, अध्ययन अवकाश अवधि के दौरान उन्हें वितरित वेतन और भत्तों की पूरी राशि की वसूली नहीं हो सकती थी।उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थी को कुल राशि वापस करने के लिए मजबूर करने में उत्तरदाताओं की यह कार्रवाई, अध्ययन अवकाश के बाद उनकी लंबी सेवा को विस्मृत करते हुए, वास्तव में राज्य द्वारा अन्यायपूर्ण संवर्धन का मामला है और सार्वजनिक नीति के विपरीत है।उन्होंने यह भी कहा कि उत्तरदाताओं को आदर्श नियोक्ता के रूप में इस पहलू पर उचित विचार करना चाहिए था।अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का एक अन्य निवेदन यह था कि, अन्यथा भी, उत्तरदाताओं की ओर से उपरोक्त कार्रवाई भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला है क्योंकि अन्य मामलों में, उत्तरदाता केवल आनुपातिक वसूली कर रहे हैं।समर्थन में, अपीलार्थी ने एक सार्जेंट कमांडर हरेश मैनी के मामले का हवाला दिया, जिसके मामले में प्रशिक्षण/अध्ययन अवकाश आदि की आनुपातिक लागत की वसूली सामान प्रकार की परिस्थितियों में की गई थी।इस उद्देश्य के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने उत्तरदाताओं से सूचना का अधिकार अधिनियम,

2005 के तहत 6 फरवरी, 2014 के अपने संचार से प्राप्त जानकारी पर भरोसा किया|

7. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त प्रस्तुतियों का दृढ़ता से खंडन किया।उनका तर्क था कि वसूली बांड/वचन पत्र के संदर्भ में की गई थी जिसे अपीलार्थी द्वारा सेना के निर्देशों 13/78 के संदर्भ में निष्पादित किया गया था, जो निर्देश तीनों सेवाओं, अर्थात् सेना, नौसेना और वायु सेना पर स्वीकार्य रूप से लागू थे।उन्होंने तर्क दिया कि इसमें अपीलार्थी ने उपरोक्त सैन्य नियम को ए. एफ. टी. या इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी थी और इसलिए, वह इसके विपरीत बहस नहीं कर सकता था।इस संबंध में उन्होंने पंजाब राज्य और अन्य बनाम डॉ. राजीव सरवाल 1 में न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है किः"6. प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अध्ययन अवकाश की अवधि 24 महीने से अधिक नहीं दी जा सकती है, यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नियम बहुत स्पष्ट है कि 24 महीने पूरी सेवा से संबंधित हैं और सेवा के किसी भी हिस्से से नहीं।इस नियम की वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी।इसलिए, उस पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सका।न ही यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा शक्ति का प्रयोग किसी भी तरह से मनमाना था, केवल इसलिए कि कुछ मामलों में छूट की शक्ति का उपयोग किया गया था।हमारी राय में छूट को इस प्रकृति के प्रावधान के रूप में भी नहीं पढ़ा जा सकता है जहां नियम स्वयं पूरी सेवा के लिए अधिकतम अवधि 24 महीने होने का आदेश देता है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश संधारणीय नहीं है।"

8. उन्होंने अपने इस कथन के समर्थन में दो और निर्णयों पर भी भरोसा किया कि परिसमापन क्षति के खंड को संविदात्मक रूप से शामिल किया जा सकता है, जो कानून में लागू करने योग्य होगा।ये हैंः

(i) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड v.सॉ पाइप्स लिमिटेड 2

"(1) इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अनुबंध की शर्तों पर विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या हर्जाने का दावा करने वाला पक्ष उसी का हकदार है।

(2) यदि अनुबंध के उल्लंघन के मामले में परिसमापन किए गए नुकसान को निर्धारित करने वाली शर्तें स्पष्ट और स्पष्ट हैं, जब तक कि यह नहीं माना जाता है कि नुकसान/मुआवजे का ऐसा अनुमान अनुचित है या

1 (1999) 9 एससीसी 240 2 (2003) 5 एससीसी 705 ए

जुर्माने के रूप में, उल्लंघन करने वाले पक्ष को इस तरह के मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता होती है और यही अनुबंध अधिनियम की धारा 73 में प्रदान किया गया है।

(3) धारा 74 को धारा 73 के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए, अनुबंध के उल्लंघन के प्रत्येक मामले में, उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति को डिक्री का दावा करने से पहले उसे हुए वास्तविक नुकसान या क्षति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।न्यायालय उल्लंघन के मामले में उचित मुआवजा देने में सक्षम है, भले ही अनुबंध के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ हो।

(4) कुछ अनुबंधों में, अदालत के लिए उल्लंघन से उत्पन्न मुआवजे का आकलन करना असंभव होगा और यदि विचारित मुआवजा न्यायालय या अनुचित के रूप में नहीं है, तो अदालत उसी का निर्णय दे सकती है यदि यह उचित मुआवजे के उपाय के रूप में पक्षों द्वारा वास्तविक पूर्व-अनुमान है।"

((ii) सुबीर घोष बनाम इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कानून का निम्नलिखित प्रस्ताव रखाः"अपीलार्थी के लिए यह तर्क दिया गया था कि समझौता एकतरफा था, सार्वजनिक नीति के खिलाफ था और व्यापार पर प्रतिबंध का गठन करता था और कंपनी द्वारा दावा विशेष रूप से अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 74 के भीतर आया था, और समझौते के उल्लंघन पर राशि के बावजूद।आम तौर पर, जब देय राशि या तो उल्लंघन पर हुए वास्तविक नुकसान से असमान रूप से अधिक होती है या अलग-अलग समझौतों के उल्लंघन के कारण होने वाले अलग-अलग नुकसान की परवाह किए बिना समान रहती है, तो इस तरह से देय राशि दंड की प्रकृति में भाग लेती है।तत्काल मामले में बांड के तहत जो देय था वह यथोचित रूप से उस नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है जो अपीलार्थी के प्रशिक्षण के बीच में

कंपनी छोड़ने की स्थिति में कंपनी को भुगतना पड़ सकता है, और इस तरह, इस तरह से देय राशि और कुछ नहीं बल्कि उस नुकसान का एक वास्तविक पूर्व-अनुमान है जिसे कंपनी अपीलार्थी की ओर से उल्लंघन की स्थिति में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।"

9. हम शुरुआत में देख सकते हैं कि तेल और तेल में निर्णय

प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और सुबीर घोष लागू नहीं होंगे।

तत्काल मामले में जैसा कि भारतीय अनुबंध के उन निर्णयों के प्रावधानों में है

3 1976 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 222

क्षति/परिसमापन क्षति से संबंधित अधिनियम से निपटा गया।दूसरी ओर, तत्काल मामले में हम उस वैधानिक प्रावधान से चिंतित हैं जिसके तहत अपीलार्थी को अनुमति दी गई थी।इसके अलावा, उन मामलों में पूर्व-अनुमानित परिसमापन क्षति के मुद्दे से निपटा गया था।तत्काल मामले में, प्रत्यर्थी द्वारा की गई वसूली किसी नुकसान की नहीं है, बल्कि वेतन और भत्तों की है जो अपीलार्थी को उस अवधि के दौरान दिए गए थे जब अपीलार्थी अध्ययन अवकाश पर था।इसलिए, इस मामले को निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिएः(i) अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ सेवा करते हुए दो साल के अध्ययन अवकाश का लाभ उठाया था;

((ii) यह अध्ययन अवकाश उन्हें सेना के निर्देशों 13/78 के संदर्भ में दिया गया था, जिसके अनुसार अपीलार्थी ने सेवा गारंटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था;

(iii) उक्त सेवा गारंटी प्रमाणपत्र के अनुसार, अपीलार्थी अध्ययन अवकाश से लौटने की तारीख से नौ साल तक सेवा करने के लिए उत्तरदायी था;

((iv) केवल खराब स्वास्थ्य के आधार पर अपीलार्थी को पहले राहत दी जा सकती है; और

(v) अध्ययन अवकाश से लौटने के बाद नौ साल की सेवा पूरी किए बिना नौकरी छोड़ने की स्थिति में, अपीलार्थी अध्ययन अवकाश के दौरान उसे दिए गए वेतन और भत्तों को वापस करने के लिए उत्तरदायी था।

उपरोक्त तथ्यों में आनुपातिक कटौती का सवाल ही नहीं उठता है।

10. यह दोहराने की कीमत पर कहा गया है कि सेवा गारंटी प्रमाण पत्र के रूप में किए गए उपक्रम में अपीलार्थी द्वारा अध्ययन अवकाश के बाद शामिल होने पर नौ साल तक सेवा नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी को दिए जाने वाले किसी भी मुआवजे या नुकसान को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।उस स्थिति में, आनुपातिक कटौती के लिए उनका अनुरोध इस आधार पर प्रासंगिक हो सकता है कि उन्होंने नौ वर्षों में से 6 वर्ष 8 महीने की सेवा की थी और इसलिए, बांड में शर्त के अनुसार पूरे मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।इसके विपरीत, यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ नियोक्ता ने उसे उस अवधि के लिए भी वेतन और भत्तों का भुगतान किया था जब वह काम नहीं करता था और अध्ययन अवकाश पर था।यह भुगतान इस शर्त के अधीन किया गया था कि उसकी वापसी के बाद अपीलार्थी पूरे नौ वर्षों तक सेवा करेगा। चूंकि उसने उस अवधि के लिए सेवा नहीं दी है, इसलिए नियोक्ता ए का हकदार है।

अध्ययन अवकाश की अवधि के दौरान दिए गए वेतन और भत्तों को सेवा गारंटी प्रमाण पत्र के साथ सेना के निर्देशों के संदर्भ में वापस प्राप्त करना।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना सही है कि अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त निर्देश की वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया है।

11. जहाँ तक भेदभाव के तर्क का संबंध है, इस तर्क के समर्थन में कोई मूलभूत तथ्य नहीं हैं।ए. एफ. टी. के समक्ष या तत्काल अपील में ऐसी कोई याचिका नहीं ली गई थी।केवल अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ, 6 फरवरी, 2014 का संचार संलग्न है जो अपीलार्थी को सर्गे कमांडर हरेश मैनी के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त हुआ है।इस दस्तावेज़ के आधार पर, बहस के समय मौखिक प्रस्तुतिकरण किया गया था।यह ज्ञात नहीं है कि उनके मामले में किन परिस्थितियों में आनुपातिक

लागत की वसूली की गई थी।इसके अलावा, अभिवचनों के अभाव में, उत्तरदाताओं को इसे समझाने का कोई अवसर नहीं मिला।इसलिए इस मामले के तथ्यों में इस तरह की याचिका की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

12. इस प्रकार, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

कल्पना के. त्रिपाठी

याचिका खारिज कर दी गई।